भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3879
(21 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण एस सी/एस टी/ई डब्ल्यू एस के युवाओं को रोजगार

3879. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा राज्य में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ग्रामीण युवाओं को रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत गारंटी के रूप में रोजगार प्रदान किया जाता है;
(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के तहत कितनी राशि प्रदान की गई है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन किया है और यदि हां, तो उक्त निर्धारणों का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा विशेषत: ओडिशा राज्य और देश में उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान है। इस योजना में ग्रामीण परिवारों को रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध न होने पर आजीविका सुरक्षा अर्थात आजीविका का तात्कालिक विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। ओडिशा राज्य में भी यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में ओडिशा राज्य में कार्यस्थलों पर आने और रोजगार प्राप्त करने वाले, कुल परिवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख में)

वित्तीय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ओडिशा में रोजगार पाने वाले कुल परिवारों की संख्या	20.31	23.07	21.48	23.25	37.49
ओडिशा में रोजगार पाने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या	3.45	3.99	3.59	3.69	5.42
ओडिशा में रोजगार पाने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	7.08	7.75	7.11	8.09	11.93

(ग) : महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत विगत पांच वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में ओडिशा राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जारी की गई निधियां (रु. करोड़ में)	1895.27	2198.35	2218.21	2488.22	5409.50

(घ) : वर्ष 2020 में सरकार ने नीति आयोग द्वारा प्रायोजित तृतीय पक्ष अध्ययन के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कराया है। इनमें से कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. 100 दिनों की गारंटी प्रदान करके जोखिमों को झेलने की क्षमता के आधार पर उच्च प्रासंगिकता और सुरक्षा देने की क्षमता;
ii. मजदूरी के भुगतान के लिए 15 दिन के अधिदेश के अनुपालन में महत्वपूर्ण सुधार;
iii. मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाया गया है और गांवों में नियमित रूप से हो रही है;
iv. परिवारों के जीवन स्तर और कृषि उत्पादन में सुधार पर मनरेगा योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है;
v. विभिन्न उप-क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तालमेल से कार्यों और लाभों के स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है;
vi. रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की भागीदारी कुल ग्रामीण आबादी में उनके अनुपात से अधिक रही है;
vii. मजूदरों को और कार्यस्थलों पर पात्रताओं की प्रदायगी के मानकों के अनुपालन में सुधार की काफी गुंजाइश है;
viii. यात्रा और बेरोजगारी भत्ते जैसे योजना प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी।

(ड.) : महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निहित है। मंत्रालय में महात्मा गांधी नरेगा योजना की निगरानी और समीक्षा तंत्र की व्यापक प्रणाली मौजूद है। उपर्युक्त फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

i. मंत्रालय विभिन्न मंचों अर्थात मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट निर्धारण और संशोधन बैठकों, कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन

के निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषदें भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आवधिक निगरानी करती हैं।

ii. राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता, साझा समीक्षा मिशन तथा मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्रीय दौरों के पश्चात निष्कर्ष, कमियां तथा सिफारिशें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती हैं ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें।

iii. सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानक जारी किए गए हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई स्थापित करने, योजना के लेखापरीक्षा नियम, 2011 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने और सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की सलाह दी गई है। योजना के लेखापरीक्षा नियम के अनुसार ग्राम पंचायत में कार्यों की लेखापरीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम भी नियमित लेखापरीक्षा करती हैं।

iv. पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय किए गए हैं जिसमें परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैल्कुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट (सिक्योर) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्त शामिल हैं।

v. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों की गुणात्मक निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित करने के उपाए किए गए हैं।

vi. उच्च स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम और एरिया ऑफिसर ऐप शुरू किए गए हैं। नेशनल मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम में किसी विशेष कार्य, जिसमें 20 से अधिक कामगार नियोजित किए गए हैं, को करने वाले कामगारों की उपस्थिति उनके जियो टैग किए गए और टाइम स्टैम्प वाले फोटोग्राफ के साथ प्रतिदिन दर्ज की जाती है। एरिया ऑफिसर ऐप यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि फील्ड अधिकारी अपेक्षित संख्या में निरीक्षण करें और योजना के प्रासंगिक पहलुओं की जांच करें।

vii. इसके अलावा केंद्रीय और राज्य रोजगार गारंटी परिषदों, जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों (दिशा) के साथ-साथ पीआरआई भी कार्यक्रम की निगरानी और निरीक्षण करते हैं।

*****